न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास डॉ0 वीना प्रधान, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 1065/2020/(2020/01065) जिला—नागौर

श्यामदास चेला रामनिवासदास निवासी दादूदयाल मन्दिर ग्राम भड़सिया तहसील परबतसर जिला नागौर।

———अपीलार्थी

बनाम

तहसीलदार परबतसर जिला नागौर।

————प्रत्यर्थी

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, परबतसर
दिनांक 30.12.2019 अन्तर्गत मुकदमा संख्या 28/2019
बउनवान श्यामदास बनाम तहसीलदार,परबतसर

————

उपस्थित— 1. श्री त्रिलोकीनाथ प्रार्थी द्वारा नियुक्त पैरोकार
2. श्री आकाश पारीक राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांकः— 29-11-2021

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, परबतसर के समक्ष अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भडसिया में दादूदयाल सम्प्रदाय का रजवाड़ा काल का पुराना मन्दिर है जिसकी सेवा पूजा अपीलार्थी के पूर्वज करते थे तथा इस मन्दिर के पुजारी के भरण पोषण हेतु डोली जागीर प्राप्त थी। ग्राम भडसिया की जमाबन्दी सम्वत् 2010 से 2013 और 2014 से 2017 की जमाबन्दी पेश की जिसमें भूमि मन्दिर के नाम तथा पूर्व पुजारी के हक में जो कृषि भूमिया दर्ज थी उसके कॉलम में खुदकाश्त दर्ज था जो कि काश्त मूर्ति की बजाय पुजारी खुद करता था जिससे पुजारी के नाम खातेदारी जारी की गई थी। सम्वत् 2038 से 2041 राज्य सरकार के नियम विरूद्ध परिपत्र दिनांक 13.12.91 की पालना में जमाबन्दी में दर्ज पुजारी की खातेदारी को हटाकर मन्दिर मूर्ति के नाम की गई। राज्य सरकार ने परिपत्र दिनांक 13.12.1991 की पालना के उद्वेश्य से अन्य आदेश/परिपत्र दिनांक 24.05.2007, 25.11.2011 और 12.09.2018 जारी किये गये जिसके आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.

Scanned with CamScanner

12.2019 से खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, परबतसर के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। अपीलार्थी के नियुक्त पैरोकार एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई ।

अपीलार्थी के नियुक्त पैरोकार द्वारा कथन किया कि अपीलार्थी हापूराम ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत किया कि राजस्थान जागीर रिजम्शन एक्ट 1952 प्रभाव में आया। ग्राम भडसिया में दादूदयाल सम्प्रदाय का रजवाड़ा काल का पुराना मन्दिर है जिसकी सेवा पूजा अपीलार्थी के पूर्वज करते थे तथा इस मन्दिर के पुजारी के भरण पोषण हेतु डोली जागीर प्राप्त थी। ग्राम भडसिया की जमाबन्दी सम्वत् 2010 से 2013 और 2014 से 2017 की जमाबन्दी में भूमि मन्दिर के नाम तथा पूर्व पुजारी के हक में जो कृषि भूमिया दर्ज थी उसके कृषि कॉलम में खुदकाश्त दर्ज था जो कि काश्त मूर्ति की बजाय पुजारी खुद करता था जिससे पुजारी के नाम खातेदारी जारी की गई थी। सम्वत् 2038 से 2041 राज्य सरकार के नियम विरूद्ध परिपत्र दिनांक 13.12.91 की पालना में जमाबन्दी में दर्ज पुजारी की खुदकास्त को विलोपित कर मन्दिर मूर्ति के नाम की गई। अधीनस्थ न्यायलय द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का अस्वीकार कर विवादित आराजियात के विधिविरूद्ध आदेश पारित कर दिये जो निरस्त योग्य है।

उन्होंने यह भी कथन किया कि जमाबन्दी सम्वत्त 2010–13 ग्राम भड़सियां के खसरा नम्बर 327, 328, 330, 331. 329, 275 कुल रकबा 23–15 बीघा भूमि डोली बनाम मंदिर श्री दयाली वाके देह एतमाम पुजारी रामदास चेला बालू रामदास सा. देह पुजारी दर्ज रिकार्ड हैं। इसी प्रकार सम्बत 2014– 2017 की जमाबन्दी में दर्ज़ रिकार्ड है। जमाबन्दी सम्बत 2038–41 में उक्त भूमि में रामभजनदास चेला बालूरामदास साद सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं, के स्थान पर जरिये नामान्तकरण संख्या 518 के द्वारा रामभजनदास के बजाय डोली बनाम मंदिर श्री दयाली महाराज वाके देह दर्ज रिकार्ड किया गया हैं। परिपत्र दिनांक 12.09.2018 के मद संख्या 2 में अंकित हैं कि राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के अन्तर्गत खातेवार, पट्टेदार, खादिमदार के रूप में दर्ज पुजारियों को मिली खातेदारी वाले पुजारी जिनका गलत रूप में विलोपन कर दिया उन्हे पुनः खातेदारी दी जा सकती हैं। इस संबंध में पूर्व में राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 13.12.1991, दिनांक 24.05.20078 व परिपत्र दिनांक 25.11.2011 को जारी परिपत्र में खातेदारी दिये जाने हेतु निर्देश व स्पष्टीकरण जारी किये जाकर प्रकरणवार विधिक परीक्षण कर सही पाये जाने पर खातेदार बन चुके पुजारियों के नाम जमाबन्दी के खातेदार के कॉलम में दर्ज किये जाने हेतु लिखा गया है।

Scanned with CamScanner

उनका यह भी तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उपलब्ध रेकार्ड को समझने में भूल की है। परिपत्र दिनांक 24.05.2007 में स्पष्ट निर्देश है कि जिन पुजारियो को खुदकाश्त के आधार पर खातेदारी दी गई है उनका नाम रिजम्शन काल की जमाबन्दी में मालिक के कॉलम में दर्ज हो तथा खुदकाश्त दर्ज हो। ऐसे व्यक्तियो के हक में राजस्थान जागीर रिजम्शन एक्ट 1952 की धारा 9 लागू होती है साथ ही आर.टी.ए. में यह भी प्रावधान है कि यदि बालिग और नाबालिग की संयुक्त खातेदारी है तो नाबालिग की धारा 46 प्रभावहीन रहेगी। राजस्व मण्डल राज अजमेर के द्वारा भी अपने निर्देश दिनांक 06.01.2010 में सरकार के परिपत्र 24.05.2007 का समर्थन करते हुये पालना करने के निर्देश दिये गये है। परिपत्र दिनांक 25.11.2011 में राजस्थान जागीर रिजम्शन एक्ट 1952 की धारा 10 का उल्लेख है जो देवमूर्ति के हितो की रक्षार्थ है कि यदि पुजारी की देखरेख में खेती हो रही थी तो पुजारी को मैनेजर मानते हुये खातेदारी मूर्ति की रखे जाने का प्रावधान है। इस प्रकार राजस्थान जागीर रिजम्शन एक्ट 1952 की धारा 9 व धारा 10 के प्रावधानों की भिन्नता समझने में अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी बारिकियों पर गौर नहीं किया है जबकि पुजारी का नाम खातेदारी कॉलम में दर्ज था वो खातेदारी एवं कब्जा दर्शाता है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.12.2019 को निरस्त कर अपीलार्थी पुजारी के नाम खातेदारी दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के पैरोकार द्वारा की गई बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि ग्राम भड़सियां में जमाबन्दी सम्वत 2010 से 2013 में उक्त भूमि के भूमिधारी के कॉलम में डोली बनाम मंदिर श्री दयाली जी वाके देह बएतमाम पुजारी रामदास चेला बालूराम दास साकिन देह पुजारी दर्ज हैं कृषक के कॉलम में खुद काश्त दर्ज हैं तथा जमाबन्दी सम्बत 2014 से 2017 में भी इसी प्रकार का अंकन हैं। सम्वत 2038–2041 में नामान्तकरण संख्या 518 के अनुसार रामभमजनदास चेला बालूरादास का हटाकर भूमि डोली बनाम मंदिर श्रीदयाल जी महाराज के नाम खातेदारी दर्ज हुई हैं। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 12.09.2018 के निर्देश संख्या 2 में यह हैं कि राजस्थान भूमि सुधार व जागिर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के अन्तर्गत प्रार्थी खातेदार, पट्टेदार व खादिमदार के रूप में जमाबंदी में इन्द्राज नही हैं। जमाबन्दी सम्वत 2010 से 2013 व 2014 से 2017 में पुजारी दर्ज हैं न कि खातेदार दर्ज हैं जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, परबतसर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.12.2019 विधिसम्मत होने से अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने अपीलार्थी स्वयं एवं विद्वान राजकीय अभिभाषक की सुनी बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 के अन्तर्गत खातेदार पट्टेदार खादिमदार के रूप में पुजारियों को मिली खातेदारी वाले पुजारी जिनका गलत रूप में विलोपन

Scanned with CamScanner

कर दिया गया है और जिन्हें पुनः खातेदारी दी जा सकती हैं इस संबंध में राज्य सरकार के परिपत्र कमांक प.3(2)राज–6/07/19 जयपुर दिनांक 25–11–2011 के अनुसार अवैधानिक रूप से मंदिर माफी की भूमि पर से विधिक टिनेंट का नाम विलोपित कर दिया गया था, को धारा 136 के तहत रिकार्ड दुरूस्ती के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्णित किये जाने का प्रावधान है। ऐसे मामलों में प्रभावित काश्तकारों से धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र विधिवत दायर कराकर रिकार्ड दुरूस्ती की कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है।

राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2010 से 2013 में खातेदार के कॉलम संख्या 4 में डौली बनाम मंदिर श्री दयाल जी वाके देह, एतमाम पुजारी रामदास चेला बालूरामदरा सा देह पुजारी दर्ज रिकार्ड हैं इसी प्रकार सम्वत 2014 से 2017 में दर्ज रिकार्ड है, जमाबन्दी के अनुसार प्रार्थी पुजारी दर्ज हैं भूमि का मालिकाना हक व खातेदार डोली बनाम मंदिर श्री दयाल जी महाराज दर्ज हैं जिसकी खुद काश्त में उक्त भूमि दर्ज रिकार्ड है। सम्वत 2038–2041 में विवादग्रस्त आराजीयत की खातेदारी राममजनदास चेला बालूरामदास साद सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड हैं जिसका नाम हटा कर नामान्तकरण संख्या 516 दिनांक 31.05.1984 के द्वारा पुनः डोली बनाम मंदिर श्री दयालजी महाराज वाके देह दर्ज रिकार्ड किया गया है। राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुर्नगृहण अधिनियम, 1952 प्रभाव में आने व उसके बाद सम्वत् 2017 तक प्राथी या प्रार्थी के पूर्वज इस भूमि के खातेदार काश्तकार, पट्टेदार या खादिमदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं रहे है। प्रार्थी के पूर्वजों का नाम इस भूमि के राजस्व रिकार्ड में सम्बत 2010 से 2017 तक केवल मात्र पुजारी के रूप में दर्ज रहा हैं। जमाबन्दी सम्वत 2038–41 में दर्ज नामान्तकरण 518 के तहत विधिवत प्रकिया के तहत हटा कर पुनः खातेद्रारी/डोली बनाम मंदिर के नाम दर्ज की गई है, जो किसी लिपिकिय त्रुटि से प्रार्थी के पूर्वजो का नाम विलोपित नहीं हुआ हैं न ही राजस्व कर्मियों की गलती से विलोपित हुआ है, नामान्तकरण प्रकिया के तहत राजस्व रिकार्ड से नाम विलोपित किया गया है। इसके साथ ही प्रस्तुत जमाबन्दी सम्बत 2010 से 2013 एवं सम्वत 2014 से 2017 में पुजारी खुदकाश्त ना होकर डोली बनाम मंदिर खुदकाश्त दर्ज हैं तथा बएतमाम पुजारी को काश्तकारी में आनुवंशिक एवं पूर्ण अंतरण के अधिकार की प्राप्ति नहीं थी।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सम्वत 2038–2041 में विवादग्रस्त आराजीयत की खातेदारी रामभजनदास चेला बालूरामदास साद सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड हैं जिसका नाम हटा कर नामान्तकरण संख्या 518 दिनांक 31.05.1984 के द्वारा पुनः डोली बनाम मंदिर श्री दयालजी महाराज वाके देह दर्ज रिकार्ड को सुधार हेतु लगभग 35 वर्ष बाद किस हक अधिकार व हैसियत से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया है स्पष्ट नहीं होता है तथा नामान्तरकरण सं0 518 भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है। अपीलार्थी भी हितबद्ध पक्षकार रामभजनदास की वंशावाली से अथवा पुजारी की हैसियत से उपस्थित है यह भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व डोली बनाम मंदिर श्री दयालजी महाराज वाके देह रामदास चैला बालूरामदास दर्ज सम्वत् 2010 से 2013 व सम्वत् 2014 से 2017 बतौर खातेदार

Scanned with CamScanner

काश्तकार दर्ज है। हाल राजस्व रेकार्ड में भी डोली बनाम मंदिर श्री दयालजी महाराज वाके देह दर्ज का अंकन है। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी, परबतसर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.12.2019 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी) परबतसंर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.12.2019 अन्तर्गत प्रकरण संख्या अन्तर्गत प्रकरण संख्या 28/2019 बउनवान श्यामदास बनाम तहसीलदार को यथावत रखा जाता है।

Scanned with CamScanner